

‘मेरे घर में कोई नकदी नहीं मिली, यह मुझे फंसाने की साजिश है’

जस्टिस डी.के. उपाध्याय की इन्क्वायरी रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस वर्मा ने कहा कि हमें नकदी मिलने की कोई सूचना नहीं दी गई

नई दिल्ली, 23 मार्च। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने आधिकारिक आवास पर मारी मात्रा में नकदी होने से इनकार किया है।

उच्चतम न्यायालय की ओर से जारी दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय की रिपोर्ट में न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने जवाब में कहा कि उनके आधिकारिक आवास पर कथित तौर पर भारी मात्रा में रुपए बरामदगी की सूचनाएं उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश की तरह होने का दावा किया।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट (जिसके कुछ हिस्से पर काली स्थाही लगी होने की वजह से अस्पष्ट है) में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा, न तो मैंने और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी भी उस स्टोररूम (जहां 14 मार्च 2025 की रात आग लगने की घटना हुई थी) में कोई नकदी या मुद्रा जमा कर रखी थी।

उन्होंने दावा किया कि पूरी घटना हाल ही में हुई घटनाओं के एक क्रम का

■ जस्टिस वर्मा से दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय द्वारा दी गई पूछताछ की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

■ जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में कहा, स्टाफ क्वार्टर के पास बने स्टोर रूम, जहाँ कोई भी आ जा सकता है, वहाँ नकदी जमा करना नितांत अविश्वसनीय है।

हिस्सा है, जिसमें दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया पर प्रसारित निराधार आरोप भी शामिल हैं।

जांच के दौरान न्यायाधीश वर्मा ने अपने आवास पर हुई आग की घटना के दृश्य होने दावा करने वाले वीडियो दिखाए जाने पर कहा, मैं वीडियो को सामग्री देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया था जो मुझे पर नहीं मिला था, जैसा कि मैंने देखा था....यह स्पष्ट रूप से मुझे फंसाने और बदनाम करने की साजिश लग रही थी।

उन्होंने कहा कि यह बताया जाना कि कोई व्यक्ति स्टाफ क्वार्टर के पास बने आउटहाउस में खुलने वाले आसानी

से सुलभ और आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोररूम में नकदी जमा करेगा, यह बात अविश्वसनीय और अविश्वसनीय है।

शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति खन्ना ने विवाद सामने आने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उपाध्याय को इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के पत्र के जवाब में 21 मार्च को न्यायमूर्ति उपाध्याय ने कहा, मेरे द्वारा की गई जांच में प्रथम दृष्टया बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और सीपीडब्ल्यूडी कर्मियों (यदि कोई हो) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कमरे में प्रवेश या पहुंच की संभावना नहीं दिखती। तदनुसार, मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि पूरे मामले की गहन जांच की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायमूर्ति उपाध्याय की इसी रिपोर्ट के आधार पर अगला कदम उठाते शनिवार 22 मार्च 2025 को तीन विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय जांच (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

बचाने योग्य मानते थे, वह अभी भी घर में मौजूद है और उसे आवास के एक हिस्से में अलग रखा हुआ देखा जा सकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के पत्र के जवाब में 21 मार्च को न्यायमूर्ति उपाध्याय ने कहा, मेरे द्वारा की गई जांच में प्रथम दृष्टया बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और सीपीडब्ल्यूडी कर्मियों (यदि कोई हो) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कमरे में प्रवेश या पहुंच की संभावना नहीं दिखती। तदनुसार, मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि पूरे मामले की गहन जांच की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायमूर्ति उपाध्याय की इसी रिपोर्ट के आधार पर अगला कदम उठाते शनिवार 22 मार्च 2025 को तीन विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय जांच (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

‘वक्फ विधेयक संविधान पर हमला है’

नयी दिल्ली, 23 मार्च। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने वक्फ विधेयक के ज़रिए संविधान पर एक और सोचा समझा हमला किया है तथा इससे देश के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने यहां जारी एक बयान में कहा कि सरकार का उद्देश्य बहु-धार्मिक समाज के सामाजिक सद्भाव को तोड़कर अल्पसंख्यक समुदाय को परंपराओं और संस्थाओं को बदनाम

■ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की परंपराओं और संस्थाओं को बदनाम करना चाहती है।

कर चुनवी लोभ के लिए धुवीकरण की स्थिति पैदा करना है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की न्यायपालिका द्वारा लंबे समय से निर्बाध चली आ रही परंपरा के आधार पर विकसित अवधारणा को समाप्त किया जा रहा है और वक्फ प्रशासन को कमजोर करने के लिए बिना किसी कारण के मौजूदा कानून के प्रावधानों को हटाया जा रहा है। साथ ही, वक्फ की जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों को बचाने के और ज्यादा सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं।

कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गठबंधन पर सस्पेंस बनाया

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मीडिया से कहा, समय आने पर इस बारे में फैसला लिया जाएगा

पटना, 23 मार्च। बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच कांग्रेस ने रविवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ गठबंधन की संभावना पर अपने पते नहीं खोले और स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है और उचित समय आने पर सभी को सूचित किया जाएगा।

खेड़ा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर चिंता जताई और कहा, मुख्यमंत्री की बिगड़ती हालत चिंताजनक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अहम है बिहार के स्वास्थ्य की स्थिति। उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाओं, चिकित्सकों, नर्सों और

■ ज्ञातव्य है कि कांग्रेस और आरजेडी लंबे समय से बिहार में सहयोगी हैं। पर, इस बार राहुल गांधी चाहते हैं, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े।

■ बिहार में इसी वर्ष नवम्बर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

कांग्रेस के मीडिया और प्रचार के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने रविवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा, राजद के साथ गठबंधन का निर्णय सही वक्त पर होगा। अभी इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। जब समय आएगा, मीडिया सहित सबको जानकारी दे दी जाएगी।

पैरा-मेडिकल कर्मियों की भारी कमी है, जिससे मरीजों को इलाज में परेशानी हो रही है।

कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री कुमार की राजनीतिक यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा, जब वे महागठबंधन में थे तब उनकी सेहत ठीक थी लेकिन (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से

नयी दिल्ली, 23 मार्च। दिल्ली विधानसभा का आठवां बजट सत्र सोमवार पूर्वाह्न 11:00 बजे पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा भवन में प्रारंभ होगा। विधान सभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह सत्र वित्तीय नीतियों और आगामी वित्तीय वर्ष के विकास रोडमैप को निर्धारित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि यह सत्र 24 से 28 मार्च 2025 तक चलेगा, और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। बजट सत्र में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कामकाज पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैंग)

■ बजट सत्र में दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज की सी.ए.जी. रिपोर्ट पेश की जाएगी।

रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। यह तीसरी कैंग रिपोर्ट होगी, जो कल सदन में प्रस्तुत की जाएगी।

विज्ञप्त में बताया गया है कि कोई भी सदस्य लोक महत्व के मुद्दे उठाने के लिए कार्यवाही से एक दिन पहले शाम 5:00 बजे तक नोटिस दे सकता है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन बजट प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए 10 विषयों पर चर्चा होगी। शुरुआत को निजी संकल्पों पर चर्चा होगी, जिसके लिए 12 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक होगा। प्रत्येक दिन कार्यवाही शुरू होने से पहले सुबह 10:55 बजे क्वोरम बेल बजाई जाएगी।

डल्लेवाल को गुपचुप पटियाला के अस्पताल में भर्ती कराया

अभी पता नहीं चला है कि पंजाब सरकार ने उन्हें अचानक राजिंदरा अस्पताल क्यों भेजा है

जालंधर, 23 मार्च। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को रविवार सुबह जालंधर कैट (आर्मी एरिया) स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से गुपचुप तरीके से पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। डल्लेवाल को हिरासत में लेने के बाद पुलिस पहले उन्हें जालंधर के पीआईएमएस अस्पताल ले गई और फिर मीडिया के जमावड़े को देखते हुए उन्हें कैट के अंदर बने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया।

तीन दिन तक उक्त रेस्ट हाउस में रहने के बाद डल्लेवाल को आज सुबह बिना किसी की जानकारी के पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि, इस बारे में जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। फिलहाल, उन्हें राजिंदरा अस्पताल में

■ पुलिस डल्लेवाल को हिरासत के बाद पहले पहले जालंधर के पीआईएमएस अस्पताल ले गई थी, बाद में उन्हें पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया था।

■ तीन दिन बाद शनिवार को उन्हें राजिंदरा अस्पताल भेजा गया है, पर, कारण नहीं बताया है।

क्यों रखा गया, इस पर कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है।

मिली जानकारी के अनुसार, 13 माह बाद जब पंजाब हरियाणा बॉर्डर को पुलिस ने किसानों से खाली करवाया था, उस समय केंद्रीय और राज्य के मंत्रियों के साथ हुई किसानों से बैठक के तुरंत बाद मोहाली से किसान नेता सखन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में ले लिया गया था। हिरासत में लेने के बाद डल्लेवाल को जालंधर के पिम्स अस्पताल लाया गया

था।

पिम्स अस्पताल में डल्लेवाल के होने का पता जब मीडिया तो चला तो बाहर जमावड़ा लग गया। जिसके बाद डल्लेवाल को आर्मी क्षेत्र में बने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां पर किसी की एंटी नहीं थी। साथ ही एंटी पर पुलिस और फिर आर्मी का नाका लगा हुआ था। मगर, जानकारी के अनुसार, आज डल्लेवाल को पटियाला शिफ्ट कर दिया गया है।

राजीव चंद्रशेखर होंगे, केरल भाजपा के नए अध्यक्ष

तिरुवनंतपुरम, 23 मार्च। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, के सुरेन्द्रन की जगह केरल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नये अध्यक्ष होंगे। सूत्रों ने रविवार को बताया कि पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रल्हाद जोशी ने राज्य भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की।

चंद्रशेखर दोपहर तीन बजे से पहले भाजपा राज्य समिति कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन की

■ वे के. सुरेन्द्रन की जगह लेंगे।

जांच शाम चार बजे होगी। नए अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा सोमवार को राज्य समिति की बैठक के बाद की जाएगी।

चंद्रशेखर पूर्व केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ा था।

वन रक्षक पेपर लीक केस, एसओजी ने दो और महिला वन रक्षकों को गिरफ्तार किया

गिरफ्तार पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेसी पार्षद को कोर्ट ने 9 दिन के रिमांड पर भेजा

जयपुर, 23 मार्च। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वनरक्षक पेपर लीक मामले में गिरफ्तारपूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेसी पार्षद को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे 9 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वी के सिंह ने बताया कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा-2020 का पेपर लीक मामले में बांसवाड़ा में दर्ज प्रकरण में 12 मार्च को गिरफ्तार आरोपित कंवराजाम जाट निवासी बाड़मेर से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपित एन डी सारण वांछित आरोपित जबराजाम जाट के सम्पर्क में था।

गिरफ्तार आरोपित एन डी सारण से गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा बाड़मेर से उदयपुर पेपर पडने के लिए

■ पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष व पूर्व कांग्रेसी पार्षद एन.डी. सारण से पूछताछ के आधार पर एसओजी ने वन रक्षक सीमा और टिमो को गिरफ्तार किया। दोनों ने 6-6 लाख रूपए में सारण से पेपर खरीदा था।

आए अभ्यर्थियों व हेण्डलर के बारे में एवं उसकी ईनेवा कार को लेकर आए ड्राईवर के बारे में भी गहनता से तफ्तीश की जा रही है। इस मामले में अंब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तारी किया जा चुका है। एनडी सारण को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 9 दिन के रिमांड पर भेज दिया।

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वन रक्षक पेपर लीक मामले में कार्यवाही करते हुए परीक्षा से पूर्व पेपर पडने वाली दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम पूछताछ करने में जुटी है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वी के सिंह ने बताया कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में परीक्षा से पूर्व पेपर पडने वाली 22 वर्षीय सीमा कुमारी निवासी सिवाना जिला बालोतरा हाल वनरक्षक रेंज बालोतरा व 24 वर्षीय टिमो निवासी बीजड़ा जिला बाड़मेर हाल वनरक्षक रेंज चौहटन को बाड़मेर स्थानीय पुलिस एवं एसओजी टीम जोधपुर के सहयोग से गिरफ्तार किया है।

गौरतलब है कि 30 जून 2024 को पुलिस थाना राजतलाब जिला

बांसवाड़ा की ओर से 13 नवम्बर 2022 की दोनों परिचयों में हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा-2020 का पेपर लीक होने की जानकारी होने पर प्रकरण दर्ज हुआ था। जिसकी जांच एसओजी राजस्थान, जयपुर की ओर से की जा रही थी। इस प्रकरण में 22 मार्च 2025 को पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष महाविद्यालय बाड़मेर व पूर्व कांग्रेस पार्षद को गिरफ्तार किया गया था। जिससे पूछताछ में सामने आया कि वन रक्षक परीक्षा का पेपर उदयपुर में अपने दलाल के मार्फत सीमा कुमारी और टिमो को परीक्षा से पूर्व पड गया था जिसकी एवज में 6-6 लाख रूपये दोनों वनरक्षकों से प्राप्त किये थे।

संभल हिंसा, जामा मस्जिद के सदर को गिरफ्तार किया

संभल, 23 मार्च। संभल हिंसा के 4 महीने बाद जामा मस्जिद के सदर, जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उन पर भीड़ को भड़काकर दंगा कराने का आरोप है। हालांकि, चंडीसी कोर्ट में पेशी के दौरान जफर अली ने कहा, मैंने कोई हिंसा नहीं भड़काई है।

पुलिस ने जफर अली को रविवार सुबह 11 बजे घर से उठाया। करीब 4 घंटे कोतवाली में पूछताछ की, पूछताछ

■ जामा मस्जिद के सदर, जफर अली को सुबह उनके घर से उठाया गया, 4 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर संभल में हिंसा भड़काने का आरोप है।

के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर उनके साथी अधिवक्ता पुलिस की गाड़ी के पीछे भागने लगे। लोगों ने जफर अली जिंदाबाद के नारे लगाए।

जफर अली का घर मस्जिद से 100 मीटर दूर है। तनाव को देखते हुए इलाके में 200 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। 5 थानों की फोर्स भी जामा मस्जिद इलाके में तैनात है। एसपी केके (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

नागपुर के सभी क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया

नागपुर, 23 मार्च। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हिंसा के छह दिन बाद, रविवार को शेष चार इलाकों से भी कर्फ्यू हटा लिया गया। 17 मार्च को हुई हिंसा के बाद नागपुर के कोतवाली, गणेशपेट, तहसील, लकड़गंज, पांचपावली, शांति नगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया था।

हिंसा सोमवार रात नागपुर के मध्य क्षेत्रों में उस समय भड़क उठी, जब अफवाहें फैलीं कि विश्व हिंदू परिषद

■ संवेदनशील इलाकों में अभी गश्त जारी रहेगी।

और बजरंग दल द्वारा मुगल सम्राट औरंगजेब की समाधि को हटाने की मांग को लेकर किए गए विरोध के दौरान एक धार्मिक शिलालेख वाली 'चादर' जला दी गई। हालांकि, अधिकारियों ने बाद में स्पष्ट किया कि ये अफवाहें पूरी तरह झूठी और ध्रामक थीं।

एक अधिकारी ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त जारी रहेगी और स्थानीय पुलिस बल तैनात रहेगा। 17 मार्च को हुए उपद्रव में (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

‘अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों को स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, पर, जिन्होंने आक्रमणकारियों का विरोध किया, उन्हें यह सम्मान नहीं दिया जाता’

संघ की प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय बैठक के बाद, पत्रकारों से बात करते हुए संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, भारत में औरंगजेब के भाई, दारा शिकोह को कभी प्रतीक नहीं माना गया, पर, औरंगजेब को प्रतीक बना दिया गया

बेंगलुरु, 23 मार्च। कर्नाटक सरकार के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विरोध किया है और इसे संविधान और बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों के विरुद्ध बताया है।

संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने रविवार को संघ प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय बैठक के समापन के बाद संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि संविधान धर्म आधारित आरक्षण को इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आरक्षण, भीमराव अम्बेडकर के विचारों के विरुद्ध है।

होसबोले ने कहा, "बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा रचित संविधान में धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान निर्माता के विरुद्ध जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि संयुक्त आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा मुसलमानों के लिए धर्म-आधारित आरक्षण लागू करने के पिछले प्रयासों और ऐसे कोटे के प्रावधानों को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

मुगल शासक औरंगजेब की कन्न को लेकर उठे विवाद के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो

■ होसबोले ने कर्नाटक सरकार के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने को संविधान विरोधी कदम बताया और कहा कि अंबेडकर ने कभी भी धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं किया।

■ होसबोले ने वक्फ से जुड़े मुद्दे पर भी बात की और कहा, समाज के कई वर्ग, वक्फ की जमीनों का मुद्दा उठा रहे हैं। इसी के हल के लिए जेपीसी गठित की गई है, उसके फैसले की प्रतीक्षा की जाएगी।

■ उन्होंने बताया कि विजयदशमी को आर.एस.एस. के 100 साल पूरे हो जाये। इस अवसर पर देश भर में एक लाख जगहों पर उत्सव मनाया जाएगा।

लोग भारत के मूल्यों के खिलाफ गए, उन्हें प्रतीक बना दिया गया। उन्होंने कहा

कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों को तो स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, लेकिन जिन्होंने आक्रमणकारियों का विरोध किया उन्हें यह सम्मान नहीं दिया जाता।

उन्होंने दिल्ली की औरंगजेब रोड को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे अन्दुल कलाम रोड में बदला गया है। भारत में औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को कभी एक प्रतीक के रूप में नहीं माना गया जबकि औरंगजेब को इस श्रेणी में रखा गया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और संघ के रिश्तों को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान अक्सर इस रिश्ते को लेकर कई

तरह के आकलन किए जाते हैं, लेकिन असल आकलन तो देश की जनता ने किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी देश का एक अंधिये हिस्सा है और अगर वह किसी भूमिका में है, तो वे हर सरकार के लिए अधिभावक के रूप में हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकार का हिस्सा नहीं बनता, तो यह अलग बात है, लेकिन फिलहाल आरएसएस और सरकार के बीच कोई संकट नहीं है और सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है।

वक्फ से जुड़े मुद्दे पर होसबोले ने कहा कि यह सिर्फ आरएसएस का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि समाज के कई लोग (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)